सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-238/2022 दिनांक- 27-जुलाई-2022

प्रेस विज्ञप्ति

थाना देवगाँव

कमीशन पर पैसे बढाने के नाम पर 1 लाख की लूट की घटना का अनावरण, 06 गिरफ्तार, 1 लाख 15 हजार बरामद, एक चाकू बरामद

दिनांक-25.07.2022 को वादी राजकुमार सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी मुरारपुर थाना तरवा आजमगढ़ द्वारा थाना देवगांव पर तहरीर दी गई थी बृजभान नामक व्यक्ति द्वारा अपने पास से पैसा देकर बांटने के लिए कहा तथा एक लाख पर एक हजार कमीशन देने की बात कही गई तथा दिनांक 25.07.2022 को नरसिंहपुर मोड पर पैसा लेनदेन के लिए बुलाकर वादी से ₹ 1,15,000 लेकर बोलेरो से दो अन्य व्यक्तियों के साथ भाग गए। वादी की तहरीर पर थाना देवगाँव पर मु0अ0स0 260/2022 धारा 382 भादवि पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अपराध व अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत दिनाँक 26.07.2022 को **अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल** के निर्देशन में उपरोक्त घटना के अनावरण के क्रम में प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह को मुखबिर ने सूचना दिया कि नरसिंहपुर में 1,15,000 रुपये की घटना घटी थी. उसमे शामिल व्यक्ति उसी बोलेरो गाड़ी व सुपर मोटरसाइकिल के साथ कंजहित मोड़ पर खडे है.

इस सूचना पर कंजहित थानाप्रभारी देवगांव मय हमराह द्वारा मौके पर पहुचकर सूत्र द्वारा बताये गए वाहन बोलोरो जो हाईवे पर पश्चिम पटरी पर कंजहित मोड़ के पास खडी थी को घेरकर उसमे बैठे पांच व्यक्तियो को समय 22.35 बजे पकड लिया गया।

पकडे गये व्यक्तियो से क्रमशः नाम पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो चालक ने अपना नाम:-

1- कपिल देव यादव पुत्र वीरेन्द्र यादव नि0 कुडेभार खनियरा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ बताया तथा उसकी तलाशी से 3500 रुपये बरामद हुआ।

2- प्रदीप राम उर्फ दीपू पुत्र रामाशंकर निवासी कंजहित थाना देवगाँव आजमगढ. जिसकी तलाशी से कुल 102000 रुपये व एक अदद किपैड़ मोबाईल नोकिया बरामद हुआ।

3- पवन राय पुत्र स्व0 जयप्रकाश राय नि0 उबारपुर थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ जिसके पास से 2500 बरामद हुआ।

4- संतोष उर्फ शोले पुत्र शिवपूजन निवासी खनियरा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़, जिसकी तलाशी से 3000/- बरामद हुआ.

5- अतुल कुमार पुत्र धर्मेन्द्र निवासी कंजहित थाना देवगाँव जनपद आजमगढ के पास से 4000 बरामद हुआ।

वाहन बोलोरो UP50BM0483 की तलाशी ली गयी तो पिछली सीट पर एक खाकी वर्दी जिसमें पीआरडी का बैच लगा है व बेल्ट बरामद हुआ। जिसके विषय मे पूछने पर संतोष उर्फ शोले ने बताया कि यह मेरी बर्दी है।

➡ आगे बैठे व्यक्ति प्रदीप राय के सीट से सीट पर रखा एक धारदार चाकू बरामद हुआ। बरामद चाकू व रूपयो के सम्बन्ध कडाई से पूछने पर प्रदीप राम ने बताया कि मुख्तार उर्फ मुन्ना राजभर ने कुछ दिन पूर्व मुझे राजकुमार सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी मुरारपुर थाना तरवाँ आजमगढ का मोबाइल नम्बर दिया और बताया था कि मेरे पड़ोस का है जो पैसा लेकर चलता है। इससे सम्पर्क करो तो अच्छा फायदा होगा। तब मै राजकुमार के नम्बर पर अपने मोबाइल से बात करके कबुतार बैक के पास मिला।

पुनः दिनाँक 24.07.2022 को नरसिंहपुर में दोपहर मे मिला तथा कल मै उसे रूपये देने के लिए बुलाया था और हम सभी लोग बोलोरो गाड़ी व सुपर स्पलेण्डर मोटरसाइकिल नम्बर UP650AM1645 जो मेरी है जिसे अतुल चला रहा था मै पीछे बैठा था नरसिंहपुर में हम दोनो पहले से मौजूद है। टेलीफोन से वार्ता के क्रम मे राजकुमार अपनी मोटरसाइकिल से आया उसके बैग से 115000 रुपया निकाल लिये।

➡ पूर्व की योजना के अनुसार कपिल देव यादव, पवन राय व संतोष उर्फ शोले बोलोरो गाडी से आया तथा संतोष जो वर्दी पहना था गाड़ी से उतर कर दो डण्डा मुझे मारे तथा एक डन्डा राजकुमार को मारे तथा कहे की गलत काम करते हो और मुझे गाडी मे बैठाकर चले गये तथा मोटरसाइकिल अतुल लेकर आय़ा।

सभी लोग अपने अपने घर चले गये। आज पुनः हम लोग उसी पैसे को आपस मे बाट रहे थे कि आप लोगो ने पकड लिया गया।

अभियुक्तगण के पास से बरामद रूपये थाना स्थानीय के मु0अ0स0 260/2022 धारा 382 भादवि से सम्बन्धित है। अभियुक्तगण का यह कार्य अन्तर्गत धारा 382/411 भादवि व 4/25 शस्त्र अधिनियम का दण्डनीय अपराध है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता—

1.कपिल देव यादव पुत्र वीरेन्द्र यादव निवासी कुडेभार खनियरा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ

2. प्रदीप राम उर्फ दीपू पुत्र रामाशंकर निवासी कंजहित थाना देवगाँव आजमगढ

3. पवन राय पुत्र स्व0 जयप्रकाश राय नि0 उबारपुर थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ

4. संतोष उर्फ शोले पुत्र शिवपूजन निवासी खनियरा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

5. अतुल कुमार पुत्र धर्मेन्द्र निवासी कंजहित थाना देवगाँव जनपद आजमगढ

6. मुख्तार उर्फ मुन्ना राजभर पुत्र शिवनाथ राजभर निवासी महाबल टाडा थाना तरवां जनपद आजमगढ

बरामदगी

1. कुल 01,15,000/- रूपये

2. एक अदद धारदार चाकू

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.प्रभारी निरीक्षक शशिमौलि पाण्डेय थाना देवगाँव आजमगढ़ मय हमराह। 2. व0उ0नि0 तारकेश्वर राय मय हमराह।

3. उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद सिंह मय हमराह। 4. आरक्षी यशवंत कुमार सिंह सर्विलांस सेल आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1.संतोष कुमार उर्फ शोले पुत्र शिवपूजन निवासी खनियरा थाना देवगांव आजमगढ़

मु0अ0सं0 62/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना देवगांव आजमगढ़

2. मुन्ना राजभर पुत्र मुख्तार पुत्र शिवनाथ निवासी महाबल टाडा थाना तरवां आजमगढ़

मु0अ0सं0 391/2017 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम व 120B/34/419/420 भादवि थाना देवगांव आजमगढ़

मु0अ0सं0 151/2017 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़

3. दीपू उर्फ दिनेश उर्फ प्रदीप पुत्र उमाशंकर निवासी कंजहित थाना देवगांव आजमगढ़

मु0अ0सं0 391/2017 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम व 120B/34/419/420 भादवि थाना देवगांव आजमगढ़

मु0अ0सं0 151/2017 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़